संख्या-11/2021/1063/86-2021-52(सा0)/2019टी0सी0

प्रेषक,

डॉ0 रोशन जैकब,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
लोक निर्माण विभाग/गृह विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/लघु सिंचाई विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग/ समाज कल्याण विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन/सहकारिता विभाग/ औद्योगिक विकास विभाग/कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग/दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 09 अगस्त, 2021

विषयः कार्यदायी संस्थाओं को आपूर्तित उपखनिजों के सापेक्ष परिवहन प्रपत्रों के आनलाईन सत्यापन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2470/86-2020-52(सा0)/2019टी0सी0 दिनांक 31.12.2020, पत्र सं0-254/86-2021-52(सा0)/2019टी0सी0 दिनांक 05.02.2021 एवं पत्र सं0- 394/86-2021-52(सा0)/ 2019 टी0सी0 दिनांक 20.02.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेशों द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर संशोधित e-Transit pass verification module के माध्यम से कार्यदायी विभागों में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत परिवहन प्रपत्रों के आनलाईन सत्यापन करने तथा Invalid अभिवहन प्रपत्रों के सापेक्ष Bill wise जमा धनराशि का विवरण सम्बन्धित जनपद, जहाँ कार्य किया गया है एवं विभागवार संकलित सूचना ई मेल पर प्रत्येक माह उपलब्ध कराने तथा Bill wise invalid quantity एवं जमा धनराशि का विवरण फीड किये जाने हेतु विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर उपलब्ध वेब पेज पर फीड करने की व्यवस्था की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में विभागीय पार्टल upmines.upsdc.gov.in पर "Master entry form for invalid T.P. quantity and deposits" हेतु एक वेब पेज विकसित कर Bill wise invalid quantity एवं जमा धनराशि का विवरण वेब पेज "Master entry form for invalid T.P. quantity and deposits" पर प्राथमिकता पर फीड कराने हेतु विभागों से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के विभागाध्यक्षों को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया था। कार्यदायी विभाग द्वारा उक्त वेब पेज पर सूचना फीड नहीं किये जाने से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि invalid quantity के सापेक्ष कटौती की गयी धनराशि, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखाशीर्षक 0853 में जमा हुई है अथवा नहीं।

3. उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक invalid अभिवहन प्रपत्रों के सापेक्ष जमा धनराशि की सूचना शासन एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को उपलब्ध कराने तथा विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध वेब पेज पर संबंधित सूचनायें नोडल अधिकारियों द्वारा ससमय भरी जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया,
(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्याः (1)/86-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यदायी विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in